

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा
(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट 2021)
पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुन्ताला चौधरी आर0ए0एस0

उनवान

हंसराम आदि बनाम दीपचंद आदि

दावा बाबत :- 888746

मुकदमा नम्बर :- 199/2021

निर्णय दिनांक :- 21.10.2021

वादी की ओर से वकील मोडिराम टुडा की व प्रतिवादी सं० 1, 11, 13 की ओर से वकील राजीव पुनिर्वा की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 21.10.2021 को मुझ शकुन्ताला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि सेही भोजा राखी के खाता सं० 33/116/117/18 के खासरा सं० 40/5 की 1.7400 है, खासरा सं० 68/3 की 1.5860 है, खासरा सं० 69 की 0.9230 है, खासरा सं० 110/4 की 0.8730 है, खासरा सं० 200/2 की 1.8020 है, खासरा सं० 202/4 की 0.6930 है, खासरा सं० 264/111 की 0.1140 है कुल 7.6310 है प्रतिवादी सं० 1 दीपचंद के नाम राजस्व रिमांड न पंजी है मे से अकेले प्रतिवादी सं० 1 के वजारे राजीव पुनिर्वा प्रतिवादी सं० 1 के वजारे खाते पर काबजकार वैधित किताब जाते है मुझे प्रतिवादी सं० 2 व 3 में अपना सम्पूर्ण डेब व हिस्सा वापसी व प्रतिवादी सं० 1 के पक्ष में लुपति कर कर कर लिया है इसलिए लुपति किताब में हिस्से पर पंजी किताब का देय पंजी लुपत मुल्य एवं स्थाप्य उभूरी कर्षु कुरने व अधिक रुपि कुरि केल के रखे हाता रखे मुल होने के उपरान्त ही राजस्व रिमांड में अमल करुण किताब पेश राजीव पुनिर्वा के डिप्टी का आदेश 46) जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 21.10.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्ताला चौधरी)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
सहायक कलक्टर संग (आ.स.स.स.)
कैम्प कोर्ट
भादरा, जिला हनुमानगढ़